



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

“वन धन भवन” सेक्टर 24, अटल नगर, रायपुर

फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in;

Website: www.cgmfpfed.org

संशोधन क्रमांक – 03 दिनांक 07-01-2026

वर्ष 2026 सीजन में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता का अग्रिम विक्रय हेतु अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2026)–I दिनांक 10.12.2025 द्वारा जारी ई–निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामा की शर्तों में निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाता है:–

ई–निविदा सूचना

क्र	शर्तक्रमांक	वर्तमान निविदा शर्त	संशोधित शर्त
1	परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 09	प्रतिभूति निक्षेप– (i) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर कुल क्रय मूल्य की 25% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगा और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि क्रय मूल्य के 10% की सीमा तक उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष (15%) प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय निर्मोचित सावधि जमा रसीद (Discharged Fixed Deposit Receipt) जिस पर पीछे निर्धारित स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर हों अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक की दिनांक 30.04.2026 तक की अवधि की बैंक गारंटी परिशिष्ट-V में दर्शाये प्रारूप में मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। यदि क्रेता चाहे तो 15% प्रतिभूति निक्षेप की राशि को दो पृथक FDR/BG के माध्यम से जमा कर सकता है। एक FDR/BG 5% का एवं दूसरा FDR/BG 10% का होगा।	प्रतिभूति निक्षेप– (i) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर कुल क्रय मूल्य की 25% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगा और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि क्रय मूल्य के 10% की सीमा तक प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष (15%) प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय निर्मोचित सावधि जमा रसीद (Discharged Fixed Deposit Receipt) जिस पर पीछे निर्धारित स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर हों अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक की दिनांक 30.04.2027 तक की अवधि की बैंक गारंटी परिशिष्ट-V में दर्शाये प्रारूप में मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। यदि क्रेता चाहे तो बैंक गारंटी के स्थान पर अपने स्वयं के खाते का संघ के प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के नाम का दिनांक 30 अप्रैल का Post dated क्रास चेक (Payable at Raipur) जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक

क्र	शर्तक्रमांक	वर्तमान निविदा शर्त	संशोधित शर्त
		यदि क्रेता चाहे तो बैंक गारंटी के स्थान पर अपने स्वयं के खाते का संघ के प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के नाम का दिनांक 30 अप्रैल का Post dated क्रास चेक (Payable at Raipur) जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का होगा, जमा कर करारनामा निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारंटी दिनांक 30.04.2026 तक जमा कर चेक वापस प्राप्त कर सकता है। दिनांक 30.04.2026 तक क्रेता द्वारा बैंक गारंटी जमा न करने पर चेक संघ के खाते में जमा कर लिया जावेगा। बैंक द्वारा जमा चेक अनादरित किया जाना क्रेता करारनामा का उल्लंघन होगा। ऐसी दशा में क्रेता के विरुद्ध करारनामा की शर्त क्रमांक 13(i) के अधीन कार्यवाही की जावेगी। (ii) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी। (iii) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी। (iv) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि (बैंक गारंटी को छोड़कर) जैसी भी स्थिति हो, में से क्रय मूल्य की 5 प्रतिशत की राशि बैंक गारंटी या नगद राशि, जैसा कि क्रेता चाहे, रोकते हुए, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामों के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् गोदाम से प्रदाय की दशा में अंतिम किश्त के विरुद्ध तथा फड़ से पत्ता मुक्त होने की दशा में अंतिम भुगतान के विरुद्ध समायोजित कर ली जावेगी।	की शाखा का होगा, जमा कर करारनामा निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारंटी दिनांक 30.04.2026 तक जमा कर चेक वापस प्राप्त कर सकता है। दिनांक 30.04.2026 तक क्रेता द्वारा बैंक गारंटी जमा न करने पर चेक संघ के खाते में जमा कर लिया जावेगा। बैंक द्वारा जमा चेक अनादरित किया जाना क्रेता करारनामा का उल्लंघन होगा। ऐसी दशा में क्रेता के विरुद्ध करारनामा की शर्त क्रमांक 13(i) के अधीन कार्यवाही की जावेगी। (ii) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी। (iii) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी। (iv) वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामों के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् गोदाम से प्रदाय की दशा में अंतिम किश्त के विरुद्ध तथा फड़ से पत्ता मुक्त होने की दशा में अंतिम भुगतान के विरुद्ध समायोजित कर ली जावेगी।

क्र	शर्तक्रमांक	वर्तमान निविदा शर्त	संशोधित शर्त
		(v) उपरोक्तानुसार उप क्रडिका (iv) में दर्शाये समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारंटी / नगद राशि वनमण्डलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामों के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी।	{परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 09 (v) विलोपित}
2	परिशिष्ट I की 12 करारनामा हस्तांतरण	करारनामों का हस्तांतरण— क्रेता संघ / मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ / संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा निम्न शर्त पर किया जा सकेगा i. क्रेता मुख्य वन संरक्षक के समक्ष लॉट हस्तांतरण हेतु आवेदन जिसमें यह उल्लेख हो किस कारण से लॉट का हस्तांतरण करना चाहता है, प्रस्तुत करेगा। मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस आवेदन पर संघ से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही हस्तांतरण अनुमति क्रेता को जारी की जावेगी ; ii. जिस व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह लॉट के क्रय मूल्य का 0.75% या राशि रु. 50,000/- जो भी अधिक हो एवं इस पर देय कर की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा	करारनामों का हस्तांतरण— क्रेता संघ / मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति / पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ / संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा निम्न शर्त पर किया जा सकेगा i. क्रेता मुख्य वन संरक्षक के समक्ष लॉट हस्तांतरण हेतु आवेदन जिसमें यह उल्लेख हो किस कारण से लॉट का हस्तांतरण करना चाहता है, प्रस्तुत करेगा एवं मुख्य वन संरक्षक निविदा अधिसूचना एवं निविदा शर्तों का भलीभांति परीक्षण करते हुए हस्तांतरणग्रहित को लॉट हस्तांतरण करे ii. जिस व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है निम्न शर्तों की पूर्ति किये जाने पर हस्तांतरण शुल्क देय होगा :- (क.) तेन्दूपत्ता संग्रहण अवधि प्रारंभ होने के पूर्व दिनांक 15.04.2026 तक यदि लॉट हस्तांतरण किया जाता है तो हस्तांतरणग्रहित रु. 10,000/- एवं इस पर देय कर की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा। उपरोक्त का लाभ प्राप्त करने हेतु निविदाकार को निम्नलिखित शर्त का पालन करना होगा:- हस्तांतरणग्रहित द्वारा लॉट के अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की न्यूनतम 25% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जिसमें से न्यूनतम 10% राशि शर्त क्रमांक 13(ii) में दर्शाये विवरण अनुसार

क्र	शर्तक्रमांक	वर्तमान निविदा शर्त	संशोधित शर्त
		iii. हस्तांतरण ग्रहिता द्वारा लॉट के अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की न्यूनतम 25% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जिसमें से न्यूनतम 10% राशि शर्त क्रमांक 13(ii) में दर्शाये विवरण अनुसार अदा की जाएगी तथा अवशेष प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय निर्मोचित सावधि जमा रसीद (Discharged Fixed Deposit Receipt) जिस पर पीछे निर्धारित स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर हों अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक की दिनांक 30.04.2026 तक की अवधि की बैंक गारंटी परिशिष्ट (V) में दर्शाये प्रारूप में मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करना होगी। प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी की राशि/निर्मोचित सावधि जमा (Discharged Fixed Deposit Receipt) की राशि क्रय मूल्य के 15% होगी।	अदा की जाएगी तथा अवशेष प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय निर्मोचित सावधि जमा रसीद (Discharged Fixed Deposit Receipt) जिस पर पीछे निर्धारित स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर हों अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक की दिनांक 30.04.2027 तक की अवधि की बैंक गारंटी परिशिष्ट (V) में दर्शाये प्रारूप में मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करना होगी। प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी की राशि/निर्मोचित सावधि जमा (Discharged Fixed Deposit Receipt) की राशि क्रय मूल्य के 15% होगी। अथवा (ख.) तेन्दूपत्ता संग्रहण होने के पश्चात् दिनांक 16.07.2026 से प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व जिस व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरण करने पर हस्तांतरणग्रहित लॉट के सम्पूर्ण क्रयमूल्य की राशि का करें सहित भुगतान कर हस्तांतरणग्रहित लॉट के क्रय मूल्य का 0.75% या राशि रु. 50,000/- जो भी अधिक हो एवं इस पर देय कर की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा। iii. ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरण कर्ता लॉट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरणग्रहित क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लॉट का क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है।

क्र	शर्तक्रमांक	वर्तमान निविदा शर्त	संशोधित शर्त
		iv. हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरणग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता/निर्यातक के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार लॉट के क्रय मूल्य का 0.75 प्रतिशत या राशि रु. 50,000/- जो भी अधिक एवं इस पर देय कर की राशि हस्तांतरण शुल्क के आधार पर परिगणित, क्रय मूल्य की 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि यदि क्रेता चाहे तो सम्पूर्ण 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि चालान के माध्यम से Post Bid Sale Management System में ऑनलाइन जमा करा सकता है अथवा 10% प्रतिभूति निक्षेप की राशि चालान के माध्यम से जमा करा सकता है तथा 15% प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि बैंक गारंटी/ एफ.डी.आर के माध्यम से जमा करना होगा। बैंक गारंटी अथवा सावधि जमा रसीद (FDR) संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में दिनांक 30.04.2026 के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिये। v. ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरण कर्ता लॉट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लॉट का क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है। vi. क्रेता करारनामा का हस्तांतरण की अनुमति- क्रेता करारनामा का हस्तांतरण अधिकतम दो बार किया जा सकेगा- क. पहला करारनामा निष्पादित होने के उपरांत तथा 30.04.2026 तक या इसके पूर्व ख. दूसरा 16.07.2026 से प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व vii. दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 15.07.2026 तक हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। viii. दिनांक 16.07.2026 से प्रथम किश्त की तिथि के पूर्व हस्तांतरण करने पर हस्तांतरणग्रहिता को हस्तांतरण शुल्क एवं लॉट के सम्पूर्ण क्रयमूल्य की राशि का करों सहित भुगतान हस्तांतरण आवेदन के साथ करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लॉट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरणग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लॉट का क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं कर लेता है।	iv. क्रेता करारनामा का हस्तांतरण की अनुमति- क्रेता करारनामा का हस्तांतरण अधिकतम दो बार किया जा सकेगा- क. पहला करारनामा निष्पादित होने के उपरांत तथा 15.04.2026 तक या इसके पूर्व {परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 12 (ii) (क) के अनुसार} ख. दूसरा 16.07.2026 से एवं प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व {परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 12 (ii) (ख) के अनुसार} v. दिनांक 16.04.2026 से दिनांक 15.07.2026 तक हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। vi. दिनांक 16.07.2026 से प्रथम किश्त की तिथि के पूर्व हस्तांतरण करने पर हस्तांतरणग्रहित को हस्तांतरण शुल्क एवं लॉट के सम्पूर्ण क्रयमूल्य की राशि का करों सहित भुगतान हस्तांतरण आवेदन के साथ करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लॉट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरणग्रहित क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लॉट का क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं कर लेता है। प्रथम किश्त के अंतिम देय दिनांक से एवं इसके पश्चात् हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। vii. 02 क्रेताओं के मध्य हुये हस्तांतरण में तेन्दू पत्ता की गुणवत्ता के संबंध में संघ उत्तरदायी नहीं

क्र	शर्तक्रमांक	वर्तमान निविदा शर्त	संशोधित शर्त
		प्रथम किश्त के अंतिम देय दिनांक से एवं इसके पश्चात् हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ix 02 क्रेताओं के मध्य हुये हस्तांतरण में तेन्दू पत्ता की गुणवत्ता के संबंध में संघ उत्तरदायी नहीं होगा।	
3	परिशिष्ट IV की शर्त क्रमांक 6 बिन्दु क्रमांक (i) (ख) गोदाम किराया की दर में वृद्धि।	पत्तों की निकासी एवं क्रेता के द्वारा शेष देय राशि का भुगतान— (i) (ख) यदि क्रेता समस्त अवशेष देय राशि भुगतान कर तेन्दू पत्ते को फड़ से मुक्त नहीं कराना चाहे और देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीतर क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में गोदाम में रखने के लिए लिखित इच्छा दिनांक 15-04-2026 से क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 21 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक व्यक्त करता है तो उसे जिला यूनियन के प्रबंध संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित निजी गोदाम जिसका किराया उसे देना होगा, निरापद रखने के लिए अनुमति इस अधिसूचना के साथ संलग्न गोदाम किराये का त्रिपक्षीय करारनामा (परिशिष्ट VI) निष्पादन किये जाने पर ही दी जावेगी। फड़ों से गोदाम तक पत्तों के परिवहन की अनुमति इसके उपरान्त दी जावेगी। क्रेता का यह दायित्व होगा कि फड़ पर परिदान प्राप्त की गई पूर्ण मात्रा का गोदामीकरण दोहरे ताले में दिनांक 01-07-2026 तक करे। तेन्दू पत्ते के गोदाम में निरीक्षण के लिये दीवाल से न्यूनतम 2 फीट की दूरी पर ही स्टेक्स लगाये जावेंगे। यदि प्रबंध संचालक जिला यूनियन दिनांक 31-03-2026 या क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 15 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक पत्र जारी कर निर्देशित करता है कि क्रेता वन विभाग/संघ/ प्राथमिक समिति/ अन्य के गोदाम को किराये पर लेवे तो परिशिष्ट VI में करारनामा निष्पादन करना आवश्यक नहीं होगा तथा क्रेता उसको रु. 40/— प्रति वास्तविक बोरा किराये पर लेने के लिये बाध्य होगा तथा गोदाम में पत्ता दिनांक 15.04.2027 तक रख सकेगा, परन्तु यदि क्रेता चाहे तो रु. 40/— प्रति वास्तविक बोरा का भुगतान कर पत्ते को अपने गोदाम में क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में भंडारित कर सकेगा। क्रेता को प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित भंडारण क्षमता के आधार पर गोदाम किराये का एक मुश्त भुगतान दिनांक 15.05.2026 तक करना होगा	पत्तों की निकासी एवं क्रेता के द्वारा शेष देय राशि का भुगतान— (i) (ख) यदि क्रेता समस्त अवशेष देय राशि भुगतान कर तेन्दू पत्ते को फड़ से मुक्त नहीं कराना चाहे और देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीतर क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में गोदाम में रखने के लिए लिखित इच्छा दिनांक 15-04-2026 से क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 21 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक व्यक्त करता है तो उसे जिला यूनियन के प्रबंध संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित निजी गोदाम जिसका किराया उसे देना होगा, निरापद रखने के लिए अनुमति इस अधिसूचना के साथ संलग्न गोदाम किराये का त्रिपक्षीय करारनामा (परिशिष्ट VI) निष्पादन किये जाने पर ही दी जावेगी। फड़ों से गोदाम तक पत्तों के परिवहन की अनुमति इसके उपरान्त दी जावेगी। क्रेता का यह दायित्व होगा कि फड़ पर परिदान प्राप्त की गई पूर्ण मात्रा का गोदामीकरण दोहरे ताले में दिनांक 01-07-2026 तक करे। तेन्दू पत्ते के गोदाम में निरीक्षण के लिये दीवाल से न्यूनतम 2 फीट की दूरी पर ही स्टेक्स लगाये जावेंगे। यदि प्रबंध संचालक जिला यूनियन दिनांक 31-03-2026 या क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 15 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक पत्र जारी कर निर्देशित करता है कि क्रेता वन विभाग /संघ/ प्राथमिक समिति/अन्य के गोदाम को किराये पर लेवे तो परिशिष्ट VI में करारनामा निष्पादन करना आवश्यक नहीं होगा तथा क्रेता उसको रु. 50/— प्रति वास्तविक बोरा किराये पर लेने के लिये बाध्य होगा तथा गोदाम में पत्ता दिनांक 15.04.2027 तक रख सकेगा, परन्तु यदि क्रेता चाहे तो रु. 50/— प्रति वास्तविक बोरा का भुगतान कर पत्ते को अपने गोदाम में क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में भंडारित कर सकेगा। क्रेता को प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित भंडारण क्षमता के आधार पर गोदाम किराये का एक मुश्त भुगतान दिनांक 15.05.2026 तक करना होगा।

क्र	शर्तक्रमांक	वर्तमान निविदा शर्त	संशोधित शर्त
		क्रेता द्वारा अनुपातिक किराया भुगतान करने के पश्चात् गोदाम में क्रेता के द्वारा पत्ता नहीं रखा जाता है तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा तय समय सीमा के भीतर इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा कि क्रेता द्वारा संघ/शासकीय गोदाम में पत्ता नहीं रखा जावेगा। ऐसी स्थिति में खाली गोदाम का उपयोग संघ अपने अविक्रित लाट के तेन्दूपत्ता भण्डारण हेतु कर सकेगा एवं इस संबंध में अग्रिम क्रेता द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जा सकेगी। अगर क्रेता इस आशय का आवेदन पत्र देता है कि वह संघ गोदाम में पत्ता रखने में इच्छुक है तो उस दशा में वह निजी गोदाम में पत्ता नहीं रख सकेगा एवं संघ गोदाम में रखने के लिये बाध्य होगा।	क्रेता द्वारा अनुपातिक किराया भुगतान करने के पश्चात् गोदाम में क्रेता के द्वारा पत्ता नहीं रखा जाता है तो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा तय समय सीमा के भीतर इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा कि क्रेता द्वारा संघ/शासकीय गोदाम में पत्ता नहीं रखा जावेगा। ऐसी स्थिति में खाली गोदाम का उपयोग संघ अपने अविक्रित लाट के तेन्दूपत्ता भण्डारण हेतु कर सकेगा एवं इस संबंध में अग्रिम क्रेता द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जा सकेगी। अगर क्रेता इस आशय का आवेदन पत्र देता है कि वह संघ गोदाम में पत्ता रखने में इच्छुक है तो उस दशा में वह निजी गोदाम में पत्ता नहीं रख सकेगा एवं संघ गोदाम में रखने के लिये बाध्य होगा।

ई-निविदा, ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण का समय एवं निविदा खुलने का समय/सत्यंकार की राशि, पंजीयन, डिजिटल प्रमाण पत्र के नियम, पूर्व प्रकाशित निविदा अधिसूचना के अनुसार ही यथावत् रहेंगी।

(अनिल कुमार साहू)

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

रायपुर, दिनांक 07/01/2026

पृ. क्रमांक / MFP02/T.P. 2026/ 89

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ ।
2. समस्त प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. छत्तीसगढ़ ।
3. **e-Procurement Technologies Limited (abcprocure)**, A 201/208, Wall street-II, Opp. Orient Club, Nr. Gujrat College, Ellis Bridge, AHMEDABAD – 380 006 Gujrat (India)
4. **I-Sourcing Tehnologies PVT. LTD.** 603, Shikhar Complex near Adani hourse, Mithakhali six Roads, Navrangpura, Ahmedabad 380009 Email- sales@tender247.com
5. महा प्रबंधक (प्रणाली), संघ मुख्यालय, नया रायपुर ।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर